कार्यवृत्त

शुक्रवार, 29 भाद्रपद, शक संवत्, 1935

(दिनांक 20 सितम्बर, 2013 ई0)

खण्ड–37
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने शंका प्रकट करते हुए कहा कि सदन का कार्यकाल तीन दिन और बढ़ाये जाने का अनुरोध किया था लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो भी विधायी कार्य तय किया है और वह सब नेता प्रतिपक्ष के सहमति से तय किया गया है। नियम–310 के अन्तर्गत दैवीय आपदा पर जो चर्चा स्वीकार हुई उस पर चर्चा होने दें। उसके बाद आपकी बात का संज्ञान लिया जायेगा। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर सदन का कार्यकाल बढ़ाये जाने की मांग को लेकर अपनी–अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया और 'वेल' में आकर नारेबाजी करने लगे। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 10 मिनट पर 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।**

12 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही अपराह्न 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कल अनुपूरक बजट में सभी अनुदानों पर मदवार धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अनुपूरक बजट कैसे पारित किया जा सकता है तथा चर्चा के बीच में सरकार द्वारा अन्य मदों को कैसे स्वीकार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि अनुदान की मांगों की धनराशि का उल्लेख मेरे द्वारा किया गया लेकिन विपक्ष के आग्रह पर उसे पढ़ा हुआ मान लिया गया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा के मध्य जो भी विधायी कार्य प्रस्तुत किये गये वह पूरे सदन की सहमति से किया गया। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे। **इस पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 46 मिनट पर 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।**

2 बजे सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

2 बजकर 30 मिनट पर सुरक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन का कार्य दो–तीन दिन तक बढ़ा दिया जाय। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि अभी नियम–310 पर चर्चा जारी है। अतः इस चर्चा का पटाक्षेप होने दें तथा नेता सदन द्वारा भी उत्तर भाषण दिया जाना है। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर दो–तीन दिन सदन की कार्यवाही बढ़ाये जाने की मांग जोर–जोर से कहने लगे। विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर बैठक गये तथा नारेबाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य प्रदेश में हुई भीषण दैवीय आपदा के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 19 सितम्बर, 2013 की बैठक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

20 सितम्बर, 2013

(1) विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(3) उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(4) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(5) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(6) हेमवती नन्दन बहुगुणा सम्बद्धक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(7) हिमालयन विशविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। **(10 मिनट)**

(2) असरकारी कार्य।

(1) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः-

"दिनांक 22 मार्च, 2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस निमयावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियामवली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम-2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिक एसोसिएशन U.A. State Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही नहीं हो सकी है।"

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय सदस्यों द्वारा नियम-310 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आयी आपदा पर प्रस्तुत सूचना विषय की तात्कालिकता, गंभीरता एवं सम्पूर्ण प्रदेश के जनमानस की भावनओं एवं आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस सूचना को नियम-310 के अन्तर्गत भविष्य में इसे दृष्टांत एवं परम्परा न बनाये जाने के साथ अपवाद स्वरूप ग्राह्यता पर चर्चा के लिए स्वीकार किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय विधायकगणों ने आपदा की गम्भीरता तथा प्रभावितों की पीड़ा का मार्मिक एवं हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत किया। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्वयं इस आपदा के विकराल स्वरूप को नजदीक से देखा तथा महसूस भी किया है। ऐसी विनाशकारी आपदा मैंने अपने जीवनकाल में न देखी और सुनी। इस आपदा से जहां एक ओर बड़ी संख्या में सड़क मार्ग, लोगों के आवास, पेयजल, विद्युत, विद्यालय भवन, चिकित्सालय, आदि अवस्थापना सुविधाऐं ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त हुई वहीं दूसरी ओर व्यापक जनहानि तथा हजारों लोगों के लापता होने की भी सूचना है। इस त्रासदी से कृषि भूमि नष्ट होने के साथ-साथ, पर्यटन से जुड़े छोटे-बड़े सभी व्यवसासियों के रोजगार के साधन भी छिन गये।

इतनी अप्रत्याशित अकल्पनीय दैवीय आपदा के कारण व्यापक स्तर पर अपेक्षित आपदा प्रबन्धन तंत्र की पूर्व व्यवस्था न होने के बावजूद सभी उपलब्ध संशाधनों के द्वारा बचाव कार्यो को प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये गये। इन बचाव कार्यो को प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये गये। इन बचाव कार्यो में राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन, पुलिस बल के अतिरिक्त सेना, अर्द्धसैनिक बलों, एन0डी0आर0एफ0 आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया एवं अनुकरणीय भूमिका का प्रदर्शन किया। बचाव राहत कार्य के दौरान सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, पुलिस बल, सेना, अर्द्धसैनिक बलों, एन0डी0आर0एफ0 के कई जवान भी शहीद हुए। मैंने पुनः सदन की ओर से इस त्रासदी में दिवंगत तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, स्थानीय निवासियों, व्यवसासियों तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में शहीद हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त जनभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं निदेश देता हूं कि रकार द्वारा आपदा राहत कार्य में किये जाने वाले पुनः निर्माण के कार्यो के सम्बन्ध में जो चिन्तन सदन में व्यक्त किया है, उस पर गम्भीरता से विचार किया जाय तथा चर्चा में प्रस्तुत सुझाव शासन की नीति तथा योजनाओं में परिलक्षित हों, इसके लिए आपदा राहत कार्यो में तेजी लाने, प्रभावी अनुश्रवण, समन्वय एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली विकसित की जाय।

सरकार नदियो की प्रवाह धारा सुचारू रखने तथा नदियों से हो रहे भू–कटाव रोकने के लिए वैज्ञानिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शोध संस्थाओं का सहयोग लेकर एक ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाकर इसे एक दीर्घ कालिक योजना के रूप में क्रियान्वित करें।

श्री केदारनाथ धाम मन्दिर जो कि उत्तराखण्ड का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश की धार्मिक आस्था का प्रतीत है, उसके सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई का कार्य कराया जाय। जो तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए आये थे एवं स्थानीय लोग जो लापता हैं, उनका सरकार पुनः पता लगाने का प्रयास करे व कहीं पर भी कोई शव प्राप्त होता है, तो पूर्ण धार्मिक विधि विधान से दाह संस्कार सुनिश्चित करें। चारों धामों की सुरक्षित यात्रा प्रारम्भ करने की भी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाय।

तात्कालिक व्यवस्था के रूप में जो उत्तराखण्डवासी अस्थायी शरणालयों में निवास कर रहे हैं, उन्हें शीतकाल से पूर्व स्थायी आवासीय व्यवस्था जो उनकी संस्कृति एवं जीवनशैली के अनुकूल हो उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत किया जाय। जहां यह संभव न हो शीत ऋतु के लिए भूलभूत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाय।

जिला आपदा प्रबन्धन तंत्र तथा जिला रेड क्रास सोसाइटी जैसे संस्थाओं का विस्तार ग्राम स्तर पर करते हुए उन्हें प्रभावी बनाते हुए उचित अधिकार भी प्रदान किये जाये।

चारों धामों के लिए नये वैकल्पिक मार्ग तथा तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के लिये नये सुरक्षित आवास क्षेत्र विकसित किये जाये।

सरकार सड़क तथा पैदल मार्गो को आवागमन हेतु उपलब्ध कराने की व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता से करे। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की तकनीकी का उपयोग किया जाय। जिससे भू–स्खलन न्यूनतम हो तथा सड़क के दोनो तरफ जल निकास की सुविधा तथा सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाय। मोटर मार्ग सुचारू रूप से संचालित रहें इसके लिए छोटे–मोटे कार्यो आदि के लिए पूर्व में जो गैंगमेट की व्यवस्था संचालित थी, उसे भी लागू किया जाय। सड़क निर्माण से जुड़ी केन्द्रीय संस्था से व्यापक समन्वय स्थापित कर इसे अधिक तत्परता से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाय।

जिन ग्रामों को अन्यत्र पुनर्वासित किया जाना है।, उनके लिए निश्चित अवधि तय करके एक ठोस कार्य योजना तैयार शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जायं जो गांव विस्थापित करने के लिए चिन्हित किये गये है, उन गांवों के रूप में मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में ही विस्थापित करने की योजना बनायी जाय, अगर पर्वतीय क्षेत्र में उचित भूमि उपलब्ध न हो रही हो तो फिर गांव के रूप में ही मैदानी क्षेत्र में विस्थापित किया जाय।

सरकार पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में तेजी लाने तथा इसे पारदर्शी गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध रूप से करने के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबन्धन तंत्र विकसित करे, जो तात्कालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर ऐसी त्रासदी के समय अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके।

विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्र सहायतित योजनाओं, विश्व बैंक तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक आदि संस्थाओं से मिलने वाले विभिन्न संसाधनों का प्रयोग पारदर्शिता पूर्ण हो।

सरकार निष्पक्ष, स्वच्छ तथा पारदर्शी रहें, जन विश्वास अर्जित करने के लिए यह प्रथम आवश्यकता है। कोई भी ऐसी बात न की जाये जिससे उत्तराखण्ड की व्यवस्था के बारे में भय तथा संशय का वातावरण पैदा हो।

पुनर्निर्माण पुनर्वास तथा स्थानीय अर्थ व्यवस्था को पुनःस्थापित करने में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं सरकार को अपनी-अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आपसी सहयोग से एक नई कार्य संस्कृति विकसित कर इस सदन में व्यक्त की गयी भावनाओं को मूर्तरूप देना होगा तथी हम वास्तविक भावनाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल होंगे एवं वस्तुतः यही उन दिवंगतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे विश्वास है कि इस सदन के मार्ग दर्शन में हम यह चुनौती पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे।

अतः वे माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता सदन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री एवं सभी माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात नियम-310 के अन्तर्गत प्रस्तुत उक्त सूचना को उपरोक्त निदेशों के आलोक में अग्राह्य करते हैं।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि ''जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून ने अपनं पत्रांक 1689/आलि/2013, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विधान सभा घेराव कार्यक्रम शान्तिपूर्ण सम्पन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में लगभग पांच हजार संख्या में लोग शामिल हुए। उक्त आयोजन भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं की अगुवाई में संचालित हुआ। दौराने विधान सभा सत्र भारतीय जनता पार्टी के निम्न विधान सभा सदस्यो ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात निम्न महानुभावाओं ने सांकेतिक गिरफ्तारी दीः-

1. श्री अजय भट्ट, विधायक रानीखेत (नेता प्रतिपक्ष)
2. श्री हरबन्स कपूर विधायक कैन्ट (पूर्व विधान सभा अध्यक्ष)
3. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' विधायक डोईवाला (पूर्व मुख्यमंत्री)
4. श्री मदन कौशिक, विधायक हरिद्वार,
5. डा0 प्रेम सिंह राणा, विधायक नानकमत्ता,
6. श्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक खटीमा,
7. श्री दान सिंह भण्डारी, विधायक, भीमताल,
8. श्री भीमलाल आर्य, विधायक घनसाली,
9. श्री अरिवन्द पाण्डेय, विधायक रूद्रपुर,
10. श्री हरभजन सिंह चीमा, विधायक काशीपुर।

माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा सांकेतिक गिरफ्तारी देने का अनुरोध करने पर जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा माननीय विधान सभा अध्यक्ष से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त की गयी। सांकेतिक गिरफ्तारी देने के पश्चात उक्त महानुभाव अपने समर्थकों के साथ पुलिस लाईन देहरादून लाये गये, जिन्हें ससम्मान पुलिस लाईन से विदा किया गया।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पूर्वी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री तारचंद, निवासी, ग्राम सभा जस्सोवाला, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री तारचंद, निवासी, ग्राम सभा जस्सोवाला, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा केदारावाला की कृषि भूमि बाढ़ से सुरक्षा हेतु केदारावाला में शीतला नदी पर पश्चिमी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री इमरान जान, निवासी, ग्राम सभा केदारावाला, विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा अम्बाड़ी की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र कुमार, निवासी, ग्राम सभा अम्बाड़ी विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जमनीपुर के ग्राम मलूकावाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्मादी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री राम प्रसाद, निवासी, ग्राम सभा जमनीपुर ग्राम मलूकावाला विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा ढ़करानी की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मौसम सिंह, निवासी, ग्राम सभा ढ़करानी विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला को ग्राम जीतगढ़ की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु उद्मादी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री उम्मेद सिंह, निवासी, ग्राम बादामावाला ग्राम जीतगढ़ विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा नवाबगढ़ की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री मकसद, निवासी, ग्राम सभा नवाबगढ़ विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की नगर पंचायत हर्बटपुर नेशनल हाई–वे नंव–507 व नेशनल हाई–वे नं0–72 पर देहरादून की ओर जमनीपुर खाले तक जल निकास एवं हाई–वे 507 पर आसन नदी तक जल निकास हेतु नाले का निर्माण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में'' नितीश नैथानी, निवासी, नगर पंचायत हर्बटपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा रूद्रपुर में पेयजल नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार, निवासी, ग्राम सभा रूद्रपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के तहसील विकास नगर की नगर पंचायत हर्बटपुर में सीवरेज की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नितीश नैथानी, निवासी, नगर पंचायत वार्ड नं0–03 हर्बटपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बालूवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री उम्मेद सिंह, निवासी, ग्राम सभा बादामावाला ग्राम जीतगढ़, विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा फतेपुर की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सत्यपाल सिंह, निवासी, ग्राम सभा फतेपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जस्सोवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री ताराचंद, निवासी, ग्राम सभा जस्सोवाला विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम छोटूवाला में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु उद्गामी नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री प्रवेश कपिल, निवासी, ग्राम सभा बादामावाला के ग्राम छोटूवाला विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु आसन नदी पर उत्तरी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशफाक, निवासी, ग्राम सभा बैरागीवाला विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा भीमावाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु यमुना नदी पर तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री बचन सिंह, निवासी, ग्राम सभा भीमावला विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मेदनीपुर-बद्रीपुर में कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु आसन नदी पर दक्षिणी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री खेम सिंह, निवासी, ग्राम मेदनीपुर-बद्रीपुर विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा जामनखाता की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु शीतला नदी पर पश्चिमी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री आनन्द चौहान, निवासी, ग्राम जामनखाता विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा ने ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बैरागीवाला की हजारों बीघा कृषि भूमि की बाढ़ से रोकथाम हेतु उद्गामी नदी पर दक्षिणी तटबंध बनाये जाने के सम्बन्ध में'' कुमारी बीना, निवासी, ग्राम बैरागीवाला विकास खण्ड विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन', सदस्य, विधान सभा ने अपने पत्र दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा यह सूचित किया है कि उत्तराखण्ड के सरकारी गेस्ट हाऊस (उत्तराखण्ड निवास) नई दिल्ली की व्यवस्था में घोर अनियमित्ताएं एक अर्से से देखी जा रही है तथा जनप्रतिनिधिगण के उत्तराखण्ड निवास में प्रवास हेतु पहुंचने पर कक्ष की स्थिति और उपयोगार्थ सामान बहुत ही घटिया स्तर पर उपलब्ध कराया जाता है। माननीय सदस्य अपने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 01 और 02 अगस्त, 2011 को उन्हें एवं उनके साथी कार्यकर्ताओं को बासी दाल तथा कच्ची रोटी परोसी गई थी। उनके द्वारा विरोध करने पर व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, ने कहा कि यहां ऐसी ही व्यवस्था है। उनके द्वारा व्यवस्थाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2012 द्वारा वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी के द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2011 से 06 अगस्त, 2001 तक उत्तराखण्ड निवास में अध्यासन के दौरान उनकेक 16 कार्यकर्ताओं एवं निजी स्टाफ द्वारा अतिथि गृह में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिस कारण किचन कर्मचारियों द्वारा अपना कार्य बन्द कर दिया गया। उक्त घटना को माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाये जाने पर माननीय सदस्य द्वारा भविष्य में उनके स्टाफ द्वारा कर्मचारियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किये जाने आ आश्वासन दिया गया। वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक जी एवं उनके स्टाफ को सदैव ही अतिथि गृह द्वारा आदर एवं सम्मान दिया गया है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अध्यासन अवधि में यदि माननीय सदस्य को कोई असुविधा हुई हो तो उसके लिए उनके द्वारा माननीय सदस्य से क्षमा याचना की गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में माननीय विधायक जी के प्रवास के दौरान हुई असुविधा के लिए शासकीय पत्रांक- 1256/XXXII/2011, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को आगाह कर दिया गया है। साथ ही वस्तुस्थिति से शासकीय पत्रांक- 1318/XXXII/2011-05(दो)/2011, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा माननीय विधान सभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में पधारने वाले महानुभावों के साथ उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ सदैव की भांति मर्यादित एवं संयमित व्यवहार सुनिश्चित किया जाता रहेगा।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के फलस्वरूप वे उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री राजेश शुक्ला, माननीय सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 01 जून, 2012 के उपवेशन की कार्यवाही एवं अपने पत्र दिनांक 07/12/12 द्वारा यह अभिसूचित किया है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक छात्रावास में 20 मई, 2012 को गैस सिलेण्डर के फट जाने से हुई भीषण दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों को, सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा मृतक आश्रितों को 1,50,000 रूपये तथा अन्य घायलों को उनके जलने के प्रतिशत के आधार पर व चिकित्सालय में उपचार कराने की अवधि के आधार पर तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की घोषणा किये जाने के 6 माह उपरान्त भी, कोई आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित उपरोक्त सूचना के संबंध में माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा दिनांक 20 मई, 2012 को गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के सरोजनी छात्रावास में गैस सिलेण्डर फटने से घायल व मृतक आश्रितों को माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से अ0शा0प0सं0-डी-1057/XXXII-14/2012-13, दिनांक 08 मार्च, 2013 के द्वारा 05 मृतक आश्रितों को 50,000 रूपये प्रति व्यक्ति एवं 03 घायल व्यक्तियों को 20,000 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल रू0 3,10,000 की धनराशि राहत वितरण हेतु जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को आवंटन हेतु स्वीकृत किए जाने का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा गैस सिलेण्डर फटने से हुआ अग्निकाण्ड एक दुर्घटना होने तथा आपदा मानकों से आच्छादित न होने के कारण अन्य किसी मद से कोई सहायता नहीं दिए जा सकने व इसी कारण इस दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को घटना के तत्काल बाद राहत राशि अनुमन्य नहीं कराये जाने का उल्लेख किया है।

माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना तथा माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के फलस्वरूप वे उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करते हैं।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

"उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10(1) (g) 10 (3) व 10(4) के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 02 माननीय विधान सभा सदस्यों को यह सदन उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, पौड़ी गढ़वाल की प्रबन्ध परिषद के पदेन सदस्य के रूप में नामित करने हेतु माननीय अध्यक्ष विधान सभा को प्राधिकृत करता है। तथा इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-29, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य समाज कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उप योजना और जन जाति उप योजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2,खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हेमवती नन्दन बहुगुण सम्बद्ध चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 को वापस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-44(1) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-44(2) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री हरबन्स कपूर का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-44(3) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा आज की कार्यसूची की मद संख्या-44(4) पर अंकित संकल्प को प्रस्तुत करने हेतु माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य का नाम पुकारा गया किन्तु सदन व्यवस्थित न होने के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''इस माननीय सदन की सर्वसम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर अस्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

> ''यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरिदास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहगीः-**

> ''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभाव, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''दिनांक 22 मार्च, 2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव है।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस निमयावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियामवली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम-2010 पर आधारित है। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नहीं किया गया है।

इण्डियन मेडिक एसोसिएशन U.A. State Branch ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, परन्तु अभी तक इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही नहीं हो सकी है।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि के सम्बन्ध में।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगीः-**

''विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।''

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम- 53 के अन्तर्गत 5 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से

जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा-मसूरी फल पट्टी योजना में गवरमेण्ट एक्ट 1895 के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टेधारकों को भूमि के मालिकाना हक का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया।

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के ग्राम सभा रतमोली, आमखेत व आस-पास के गांवों में तत्काल विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर के 42 विभिन्न सड़क सम्पर्क मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राज कुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में मछोड़ नामक स्थान पर सम्पूर्ण स्वीकृति के उपरान्त भी विद्युत सब पावर स्टेशन का निर्माण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 4 बजकर 41 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र,
अपर सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।